



ANNADA COLLEGE HAZARIBAG

Permanently Affiliated Linguistic (Bangla) Minority Institution Under Vinoba Bhave University, Hazaribag
Registered U/S 2 (f) and 12 - B of U.G.C Act 1956

***(Conference/Workshop/Symposium/Seminar/Guest Lecture/Special Day
Celebration/Open Day/Exhibition/Welcoming Function/ Farewell
Function/Sports Activities /NSS Activities/ NCC Activities/ etc.)***

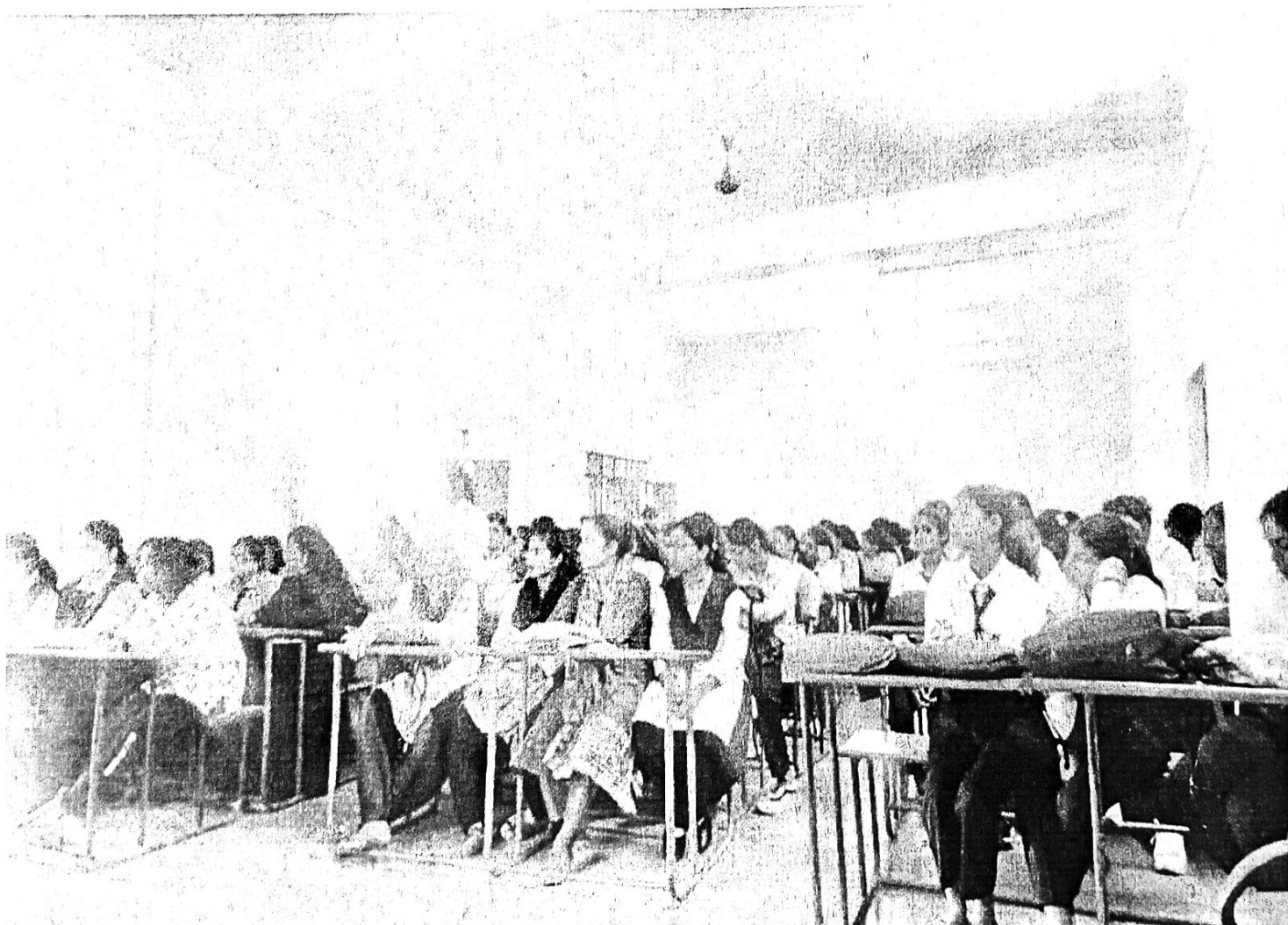
1. Name of the Department , Women Empowerment cell
2. Complete name/ title of the Activity : Awareness Program on "Rules Against Sexual Harassment"
3. Dates or Duration (from-----to) 19/09/2025
4. Venue of the Event : Room no 53, Annada College, Hazaribagh
5. Sponsor/Collaborations (if any) : None
6. Level of the event (encircle any one) : College
International / National / State / University / District / College / Department etc.
7. Purpose / aim / objective and outcome of the event (use extra sheet if required):
 - The purpose of a program on rules against sexual harassment is to create awareness about inappropriate behavior and ensure a safe, respectful environment for all. It helps individuals understand their rights and responsibilities, promotes zero tolerance towards harassment, and informs about proper complaint and support mechanisms.
8. Beneficiaries / participants (Type/number, etc.): 111
 - Students from all departments.
9. Other major staff / student / Institution involved in the organization of the activity:
 - HODs, Teachers of various departments & Chief Guest – Adv. Nafeesha Firdous, Advocate Civil court, Hazaribag.
10. Any other information / comment / qualitative remarks (use extra sheet if required):
 - Key speaker and chief guest of the event was Adv. Nafeesha Firdous, who speaks about information of employees/students about what constitutes sexual harassment (verbal, non-verbal, physical, online) and clarify that such behavior is unacceptable and punishable. She also spoke to promote a workplace or campus culture where everyone feels safe, respected, and valued.

11. Photographs (with captions) submitted (number) (enclose, if any) :



Awareness Program on Rules
Against Sexual Harassment





12. Evidence produced (Certificate, letters, newspaper cuttings etc.) (enclose if any):

अन्नदा कॉलेज में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम



हस्ताक्षर (यौन उत्पीड़न)। महिला समिति द्वारा अन्नदा कॉलेज में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती मनीषा शर्मा थीं। अपने संबोधन में श्रीमती मनीषा शर्मा ने कहा कि जागरूकता या शैक्षणिक माध्यम से किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न कार्यक्रम दूर किया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम की महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों की विस्तृत समझाते हुए छात्रों को समझाया कि, अंततः कि किसी भी पीड़ित को चार से अधिक अलग-अलग तरीकों से चिन्ता। प्रत्येक मामले में अलग-अलग रिपोर्ट करने का तरीका अलग है। जो पीड़ित अपने काम नहीं करती है। अंततः में मुख्य वक्ता का स्वागत हो गया। डॉ. मनीषा शर्मा ने प्रस्तावित किया कि कॉलेज की महिला समिति द्वारा अन्नदा कॉलेज डॉ. मनीषा शर्मा ने कहा कि हम कार्यक्रमों में छात्रों को अधिकारों से निश्चित है और वे अपने अधिकारों के ज्ञान से काम लेंगे। हम समझते हैं कि यौन उत्पीड़न का समाधान है। अंततः डॉ. मनीषा शर्मा ने अपने कार्यक्रम की मांग की। कार्यक्रम में छात्रों के अलावा शिक्षकों में डॉ. अंजलि शर्मा, डॉ. नैजम अलम, डॉ. मनीषा शर्मा, डॉ. अरुण सिंह, डॉ. रवि चंद्र, सुनील कुमार शर्मा थे। कार्यक्रम की सफलता के बाद डॉ. मनीषा शर्मा को मुख्य भूमिका मिली।

अन्नदा कॉलेज में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



हस्ताक्षर (यौन उत्पीड़न)। महिला समिति द्वारा अन्नदा कॉलेज में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती मनीषा शर्मा थीं। अपने संबोधन में श्रीमती मनीषा शर्मा ने कहा कि जागरूकता या शैक्षणिक माध्यम से किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न कार्यक्रम दूर किया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम की महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों की विस्तृत समझाते हुए छात्रों को समझाया कि, अंततः कि किसी भी पीड़ित को चार से अधिक अलग-अलग तरीकों से चिन्ता। प्रत्येक मामले में अलग-अलग रिपोर्ट करने का तरीका अलग है। जो पीड़ित अपने काम नहीं करती है। अंततः में मुख्य वक्ता का स्वागत हो गया। डॉ. मनीषा शर्मा ने प्रस्तावित किया कि कॉलेज की महिला समिति द्वारा अन्नदा कॉलेज डॉ. मनीषा शर्मा ने कहा कि हम कार्यक्रमों में छात्रों को अधिकारों से निश्चित है और वे अपने अधिकारों के ज्ञान से काम लेंगे। हम समझते हैं कि यौन उत्पीड़न का समाधान है। अंततः डॉ. मनीषा शर्मा ने अपने कार्यक्रम की मांग की। कार्यक्रम में छात्रों के अलावा शिक्षकों में डॉ. अंजलि शर्मा, डॉ. नैजम अलम, डॉ. मनीषा शर्मा, डॉ. अरुण सिंह, डॉ. रवि चंद्र, सुनील कुमार शर्मा थे। कार्यक्रम की सफलता के बाद डॉ. मनीषा शर्मा को मुख्य भूमिका मिली।

हस्ताक्षर (यौन उत्पीड़न)। महिला समिति द्वारा अन्नदा कॉलेज में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती मनीषा शर्मा थीं। अपने संबोधन में श्रीमती मनीषा शर्मा ने कहा कि जागरूकता या शैक्षणिक माध्यम से किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न कार्यक्रम दूर किया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम की महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों की विस्तृत समझाते हुए छात्रों को समझाया कि, अंततः कि किसी भी पीड़ित को चार से अधिक अलग-अलग तरीकों से चिन्ता। प्रत्येक मामले में अलग-अलग रिपोर्ट करने का तरीका अलग है। जो पीड़ित अपने काम नहीं करती है। अंततः में मुख्य वक्ता का स्वागत हो गया। डॉ. मनीषा शर्मा ने प्रस्तावित किया कि कॉलेज की महिला समिति द्वारा अन्नदा कॉलेज डॉ. मनीषा शर्मा ने कहा कि हम कार्यक्रमों में छात्रों को अधिकारों से निश्चित है और वे अपने अधिकारों के ज्ञान से काम लेंगे। हम समझते हैं कि यौन उत्पीड़न का समाधान है। अंततः डॉ. मनीषा शर्मा ने अपने कार्यक्रम की मांग की। कार्यक्रम में छात्रों के अलावा शिक्षकों में डॉ. अंजलि शर्मा, डॉ. नैजम अलम, डॉ. मनीषा शर्मा, डॉ. अरुण सिंह, डॉ. रवि चंद्र, सुनील कुमार शर्मा थे। कार्यक्रम की सफलता के बाद डॉ. मनीषा शर्मा को मुख्य भूमिका मिली।

13. Name and Signature of Coordinator:

M. Shrivastava
19-9-25
HOD

Dr. H. Singh
IQAC-Coordinator

Principal
19-09-2025

Co-ordinator

Women's Empowerment Cell

Activities of Department / College during the academic year -2025-26